न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
66/2022

तारीख दायर
02–02–2022

तारीख फैसला
19/05/2022

उनवान

मित शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहमण उम्र करीब 42 साल निवासी मकान नं0 3 सैक्टर
0 19 फरीदाबाद जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

———:: वादी

बनाम

ीद
र्शीद
मशेद पुत्रान रहमता जाति मेव निवासीगण ग्राम ग्वाल्दा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
ोमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
ाखा प्रबन्धक बी0आर0के0जी0बी0 शाखा टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

ादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.42 है0, 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0. ाके ग्राम गुवालदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। जो इस वाद में विवादित कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा हाल जमाबन्दी संवत् 2071 लगायत 2074 संलग्न वाद पत्र है। विवादित मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त शामलात खातेदारी की आराजी है। विवादित खसरा नम्बर 233 रकबा 0.42 है0 में से 1850 ऐयर मिन वादी का व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 भाग दी संख्या 2 व 3 का 0.13 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0.13 है0 में भाग मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 भाग निहित है और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत क अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल है तथा मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम रिकोर्ड जमाबन्दी में अलम दरामद हो रहा है। मिन वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य हमति से आराजी का बंटवारा किया हुआ है। मिन वादी, विवादित आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0. ं से 1850 ऐयर व आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0.13 है0 में से 3/4 भाग

नाले से लगता हुआ व आराजी खसरा नम्बर 309 के साथ लगता हुआ है, जिस पर मिन वादी काबिज
ाल होकर काश्त कारोबार करता चला आ रहा है। अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है और
ी कब्जे काश्त हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते है तथा वादी के हिस्से पर
कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर उतारू है व दीगर जगह बेचान करने की जुस्तजू में है तथा आये
व परेशान करते रहते है। मिन वादी का प्रतिवादीगण के साथ शामलात में उपयोग व उपभोग करना
गया है। मिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त
पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप से पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं
और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। मिन वादी व प्रतिवादीगण के
ई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण जो कि कानून कायदे की
रवाह नहीं करते है, जो आपस में साज–बाज है तथा प्रतिवादीगण मिन वादी को उसके कब्जे काश्त
ी की रोज मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है, मिन वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से
त खातेदारी में काश्त करना दूभर हो गया है। ऐसी सूरत में अब मिन वादी का विवादित आराजी खसरा
33 रकबा 0.42 है0 में से 1850 ऐयर व आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0.13 है0
/4 भाग है जो नाले से लगता हुआ व आराजी खसरा नम्बर 309 के साथ लगता हुआ है, जिस पर
दी काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता चला आ रहा है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है,
कासमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराकर अलग से कुर्रेजात कायम करने व अलग से लगान खाता
कराने का हकदार है, जिससे वादी को दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है। उक्त विवादित
की कीमत बढ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने दुषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
11.06.2016 को उक्त विवादित आराजी पर आये और वादी के हिस्से में मजाहमत व मदाखलत पैदा
बरन निर्माण कार्य करने का असफल प्रयास किया और दीगर लोगों को बेचान करने की जुस्तजू में है
लानिया तौर पर धमकी दी कि उक्त अवट आराजी पर जबरन कब्जा करेगें तथा जबरन नींव खोदकर
करेगें और दीगर जगह बिना बंटवारा कराये रहन–बैय हिवा आदि से मुन्तकिल कर वादी को बेदखल
यदि वाकई में प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादी को हर सूरत में
हानि होगी। दीगर मुकदमाबाजी में उलझना पडेगा। हकूक वादी पर आवरण छा जावेगा। जिसकी पूर्ति
भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन वादी, प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई
से पावन्द कराने की अधिकारी है तथा वादी तकासमा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त
त आराजी मिन वादी का मुताविक जमावन्दी हिस्सा है, जो नाले से लगता हुआ व आराजी खसरा नम्बर
साथ लगता हुआ है, जिस पर मिन वादी काबिज व दाखिल है मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा
न वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। मिन वादी के हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिए वादी
ने हकूकों की रक्षार्थ वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है। अन्त में निवेदन है कि डिक्री इजराय
ा विवादित आराजी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 सादिर फरमाई जावें कि विवादित

राजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.42 है0, 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम गुवालदा
तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। मिन वादी का विवादित आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.
में से 1850 ऐयर व आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0.13 है0 में से 3/4 भाग है
ने से लगता हुआ व आराजी खसरा नम्बर 309 के साथ लगता हुआ है, जिस पर मिन वादी काबिज व
होकर काश्त कारोबार करता चला आ रहा है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है प्रतिवादी संख्या 1
3 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है, का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कराकर अलग से
कायम करने व अलग से लगान खाता कायम कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजि0 सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण
1 लगायत 3 अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य के
अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

वादी में दिनांक 17–03–2017 को फाईनल डिक्री किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 रसीद द्वारा उक्त
की अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई।
नय अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के द्वारा निर्णय दिनांक
6–2021 पारित किया जाकर फाईनल डिक्री दिनांक 17–03–2017 को निरस्त किया गया। इस निर्देश के
प्रतिप्रेषित किया गया है कि वो उभपक्षों की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार से कुर्रे कायमी तैयार करावें।
बात दिनांक 02–02–2022 को तहसीलदार टपूकडा को उपभपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः कुर्रे कायमी
र्देशित किया गया।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5218 दिनांक 12–04–2022 के द्वारा
ण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। उभयपक्षकारान ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु
न किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट सारणी अनुसार फाइनल डिक्री किया जाकर हाल आराजी
रा नम्बर 233 रकबा 0.42 है0, 235 रकबा 0.71 है0, 236 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम गुवालदा तहसील
रा जिला अलवर (राज0) का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया
है :–

सारणी

. .	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	अमित शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा0 म0नं0 03 सैक्टर 19 फरीदाबाद (हरि.) खातेदार	233/1	0.0800	बारानी 2	0.3157
		235/1	0.5725	बारानी 2	2.26
		236/1	0.0975	बारानी 2	0.3843
		किता 3	0.7500		

खुर्शीद पुत्र रहमता हिस्सा 13/68 जाति मेव सा. देह खातेदार जमशेद पुत्र रहमता हिस्सा 13/68 जाति मेव सा. देह खातेदार रशीद पुत्र रहमता हिस्सा 29/68 जाति मेव सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा (पूर्ण खाता) वडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टपूकडा रूस्तम पुत्र रहमता हिस्सा 13/68 जाति मेव सा. देह खातेदार	233/2	0.34	बारानी 2	1.35
रशीद पुत्र रहमता हिस्सा पूर्ण जाति मेव सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) वडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टपूकडा	235/2 236/2 किता 2	0.1375 0.0325 0.1700	बारानी 2 बारानी 2	0.6713 0.1287

विवादित आराजी के लगान पर नियमानुसार डिक्री जारी होवे। कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा डिक्री का जूज रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)